न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी./ 14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।

राज्य बनाम उदय प्रताप आदि।

<u>आदेश</u>

अपराध सं०–143/26
अन्तर्गत धारा-131,117(2),115(2),
352,351(3)BNS
थाना-एलाऊ, जिला- मैनपुरी।

<u>दिनांक- 30.06.2026</u>

1. अभियुक्तगण उदय प्रताप, राजप्रताप पुत्रगण अवधेश सिंह की ओर से अपराध सं०–143/26,अन्तर्गत धारा-131,117(2),115(2),352,351(3)BNS थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आए हैं ।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण /अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थीगण कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. अभियोजन अधिकारी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,117(2),115(2),352,351(3)BNS अपराध सं०–143/26 थाना एलाऊ जिला मैनपुरी में प्रस्तुत किया गया है । प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पर मारपीट व गाली-गलौज करने का आरोप है । अभियुक्तगण द्वारा स्वयं आत्म समर्पण किया गया है । अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

5. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा प्रत्येक को 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की प्रत्येक को एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(आजम रहमानी)
सिविल जज अवर वर्ग/एफ.टी.सी./
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।